



Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

6

Registration Certificate

Registration Details

E-Registration Number	MP179092020A1833403
Registration Date	11/12/2020
Date of Printing e-Registration Certificate	11/12/2020
Market Value of Property (If Applicable)	16514785.39
Consideration / Secured / Premium Amount (Rs.)	NA
Registration Fee (Rs.)	132619
Total Stamp Duty (Rs.)	785453
SR Name	ARVIND KHARE
SRO Name	SUB REGISTRAR OFFICE INDORE 1

Donor-Self


Name: RAZIYA BEE MANSURI
Father/Husband's Name: ABDUL SAMAD MANSURI
Address: 1310, MAIN ROAD BIJALPUR, INDORE, INDORE, Madhya Pradesh, INDIA


Donee-Self

Name: JAFAR MANSOORI
Father/Husband's Name: ABDUL SAMAD MANSOORI
Address: 1310, MAIN ROAD BIJALPUR, INDORE, INDORE, Madhya Pradesh, INDIA

Name: ASHIK MANSOORI
Father/Husband's Name: ABDUL SAMAD MANSOORI
Address: 1310, MAIN ROAD BIJALPUR, INDORE, INDORE, Madhya Pradesh, INDIA


Digitally signed
by ARVIND
KHARE
Date: 2020.12.11
12:22:32 IST







Registration and Stamp Department Madhya Pradesh



Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	01011711122020000022		
Total E-Stamp Amount	785453		
Govt. Stamp Duty (Rs.)	413870	Municipality Duty (Rs.)	165148
Janpad Duty (Rs.)	165148	Upkar Amount (Rs.)	41287
Exempted Amount(Rs.)	0		
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL		
Issue Date & Time	11/12/2020 01:35:34		
Service Provider or Issuer Details	SSEMA TALREJA/SP011743009201500003		
SP/SRO/DRO/HO Details	111 KRANTI KRIPLANI NAGAR ANNAPURNA ROAD INDORE INDORE		

Deed Details

Deed Type	Gift
Deed Instrument	Gift- Instrument of, not being a settlement (No.57) or will or transfer (61)- (i) when made to member of a family.-Half of the duty as a conveyance (No. 25) on the market value of the property, which is subject matter of the gift. Explanation - For the purpose of this article, the term family shall mean mother, father, wife, husband, son, daughter, brother, sister, daughter-in-law, grand daughter and grand son
Purpose	दान पत्र


First Party Details

Name	RAZIYA BEE MANSURI
Address	1310, MAIN ROAD BIJALPUR, INDORE
Number of Persons	1

Second Party Details

Name	ARIF MANSUREE
Address	1310, MAIN ROAD, BIJAPUR, INDORE
Number of Persons	3

श्री 1111 दान पत्र 11पारिवारिक दान पत्र "माँ" द्वारा अपने "पुत्रों" के हित में प्रतिफल रहित





Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

॥ श्री ॥

॥ दान पत्र ॥

पारिवारिक दान पत्र "माँ" द्वारा अपने "पुत्रों" के हित में प्रतिफल रहित

श्रीमती रज़िया बी पति हाजी अब्दुल समद मन्सूरी (PAN:AGZPM7000H)

निवासी : 1310, मेन रोड ग्राम बिजलपुर तहसील व जिला इंदौर म.प्र.

-----दान दाता प्रथम पक्ष

1. जावेद मंसूरी पिता हाजी अब्दुल समद मन्सूरी (PAN:APVPM0287K)

निवासी : 96/101-1-2-1, नर्मदा रोड, ग्राम बिजलपुर तहसील व जिला इंदौर म.प्र.

2. श्रीमती रिजवाना बी पति मोहम्मद रफीक (पिता अब्दुल समद मंसूरी) (AADHAR : 6070 0491 9151)

46, बम्बई बाज़ार, इंदौर म.प्र.

-----सहमती दाता पक्ष (प्रतिफल रहित)

1. ज़फर मंसूरी पिता हाजी अब्दुल समद मन्सूरी (PAN: APVPM0288G)

2. आशिक मंसूरी पिता हाजी अब्दुल समद मन्सूरी (PAN:AMSPM8493R)

3. आरिफ मंसूरी पिता हाजी अब्दुल समद मन्सूरी (PAN: BEXPM5717G)


सभी निवासी : 1310, मेन रोड ग्राम बिजलपुर तहसील व जिला इंदौर म.प्र.

-----दान गृहीता द्वितीय पक्ष

उपरोक्त दानदाता यह दान पत्र दान गृहीता के हित में निम्नानुसार लिख देते हैं की :-

1. उपरोक्त दान दाता पक्ष के स्वामित्व एवं आधिपत्य का मकान शहर इंदौर के ग्राम बिजलपुर तहसील व जिला इंदौर म.प्र. यहाँ पर स्थित सर्वे क्रमांक 278/4/1, 279/2/1, 280/3/2/1 कुल रकबा 1270 वर्ग मीटर की भूमि में जिसे वर्तमान में भवन क्रमांक 1310 दिया हुआ है, पर निर्मित आवासीय मकान है। सदर मकान आवासीय उपयोग का होकर आवासीय क्षेत्र में स्थित है। जिसपर एक तल मंजिला पुराना मकान निर्मित है जिसका तल मंजिल का आर. सी. सी. का निर्मित क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट अर्थात 139.40 वर्ग मीटर है तथा प्रथम मंजिल पर 300 वर्ग फीट अर्थात 27.88 टिन शेड डाला हुआ है तथा शेष खाली खुली जगह के रूप में है जिसपर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य किया हुआ नहीं है। सदर सम्पत्ति दानदाता पक्ष के एकमात्र मालकी की है जो की राजस्व रिकॉर्ड में दानदाता पक्ष के नाम पर दर्ज होकर इसका ऋण पुस्तिका क्रमांक L I 817764 है। इस प्रकार दानदाता ही सदर सम्पत्ति की मालिक व आधिपत्यधारी होकर दानदाता के सिवाय सदर संपत्ति में अन्य किसी का कोई हक, हिस्सा या शरकत आदि नहीं है।

सदर संपत्ति के सम्बन्ध में दान दाता पक्ष ने कोई मुख्तियार नामा आम या खास किसी व्यक्ति या संस्था के हित में निष्पादित किया हुआ नहीं है और इस प्रकार का कोई मुख्तियार नामा वर्तमान में प्रभावशील भी नहीं है।





Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh


फिलहाल यह संपत्ति हर प्रकार के गिरवी, बिक्री, दान, जमानत, ऋण, मेंटेनेंस, डिक्री, आसेध, धर्मादा, देवस्थान, बैंको के चार्ज और वित्तिय संस्थाओ के ऋण, भार, चार्ज आदि से मुक्त स्थिती में है। इस दान पत्र के विपरीत अन्य कोई सौदा, करार या विलेख दान दाता पक्ष द्वारा पहले से अन्य किसी के हित में किया हुआ नहीं है। सदर संपत्ति के सम्बन्ध में कोई दावा या झगड़ा किसी भी न्यायालय में लम्बित या विचाराधीन भी नहीं है। सदर सम्पत्ति पर कोई देवस्थान या पीरस्थान नहीं है।

दानदाता पक्ष का अपने पुत्रो अर्थात् दान गृहीता पक्ष से स्नेह होने से उक्त संपत्ति दान गृहीता पक्ष के हित में बिना किसी प्रतिफल प्राप्त किये दान कर रहे है तथा दान दाता पक्ष द्वारा दान गृहीता पक्ष के हित में यह दान पत्र निष्पादित किया जा रहा है जिसमे उभय पक्षो की पूर्ण सहमती है। दानान्तर्गत संपत्ति दानदाता पक्ष की एकमात्र मालकी की संपत्ति है जिसे दान देने का उन्हें पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त है।

यह की, उक्त दस्तावेज में किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तकनिकी त्रुटी शेष न रहे इस कारण इस दान पत्र में सहमती दाता 1. जावेद मंसूरी पिता श्री हाजी अब्दुल समद मंसूरी तथा 2. श्रीमती रिजवाना बी पति मोहम्मद रफीक (पिता अब्दुल समद मंसूरी) (आप सहमती दाता दानदाता पक्ष के पुत्र तथा पुत्री है) ने अपनी माता दान दाता पक्ष के पक्ष में बिना कोई प्रतिफल राशी प्राप्त किये सहमती में अपने हस्ताक्षर किये है तथा वे इस दस्तावेज के माध्यम से दानदाता पक्ष को इस दान में अपनी पूर्ण सहमती प्रदान करते है ताकि दानदाता पक्ष इस दान पत्र के माध्यम से दान गृहीता (जो की सहमती दाता के भाई है) को सदर सम्पत्ति दान कर सकें जिसमे सहमती दाता को कोई आपत्ति नहीं है।

दानान्तर्गत संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है :-

यह भूखंड एंव उस पर निर्मित आवासीय मकान जो की शहर इंदौर के ग्राम बिजलपुर तहसील व जिला इंदौर म.प्र. यहाँ पर स्थित सर्वे क्रमांक 278/4/1, 279/2/1, 280/3/2/1 कुल रकबा 1270 वर्ग मीटर की भूमि में जिसे वर्तमान में भवन क्रमांक 1310 दिया हुआ है पर निर्मित आवासीय मकान है। सदर मकान आवासीय उपयोग का होकर आवसीय क्षेत्र के स्थित है। जिसपर एक तल मजिला मकान निर्मित जिसका आर सी सी का निर्मित क्षेत्रफल क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट अर्थात् 139.40 वर्ग मीटर है तथा प्रथम मजिल पर 300 वर्ग फीट अर्थात् 27.88 टिन शेड डाला हुआ है तथा शेष खाली खुली जगह के रूप में है जिसपर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य किया हुआ नहीं है। यह दानपत्र मय तल ज़मीन के मालकी हक सहित, समस्त बंधे व खुले का, ऊपर से नीचे तक खुले आसमान तक के अधिकारों सहित दानदाता पक्ष ने दान गृहीता पक्ष को किया है। उक्त मकान आवासीय क्षेत्र में स्थित होकर आवासीय उपयोग का है। सदर मकान के निकास की स्वतंत्र व्यवस्था मकान के सामने स्थित सड़क से होकर है। उक्त मकान बिजलपुर रोड पर स्थित होकर ए.बी. रोड से अन्दर की ओर स्थित है। सदर मकान वर्ष 1984 से पूर्व का निर्मित हुआ होकर 36 वर्ष से अधिक पुराना है।






Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Admission Seal:

RAZIYA BEE MANSURI	W/O ABDUL SAMAD MANSURI	Address: 1310, MAIN ROAD BIJALPUR, INDORE
JAFAR MANSOORI	S/O ABDUL SAMAD MANSOORI	Address: 1310, MAIN ROAD BIJALPUR, INDORE
ASHIK MANSOORI	S/O ABDUL SAMAD MANSOORI	Address: 1310, MAIN ROAD BIJALPUR, INDORE
ARIF MANSUREE	S/O ABDUL SAMAD MANSUREE	Address: 1310, MAIN ROAD, BIJAPUR, INDORE

स्वीकार करते हैं कि कथित दान की लिखत विलेख का निष्पादन किया गया था और प्रतिफल के पूर्ण रूप 0 प्राप्त हो गये हैं तथा रूप 0 उन्हें मेरी उपस्थिति में चुकाये गये थे और प्रतिफल की बकाया रकम रूप 0 बच गयी है, जो पंजीयन के बाद प्राप्त होगी।
तारीख 11/12/2020

ARVIND KHARE
Sub Registrar
SUB REGISTRAR OFFICE
INDORE I





Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

सदर संपत्ति की चतुः सीमा निम्नुसार है :-

पूर्व में : अन्य कृषि भूमि है ।

पश्चिम में : सड़क है ।

उत्तर में : जाकिर हुसैन व अन्य का मकान है ।

दक्षिण में : नंदी बाई पति श्री सिद्धनाथ जी मकान है ।


उपरोक्त दान की गई सम्पत्ति का मौके पर रिक्त अधिपत्य (एक्चुअल वेकैट पजेशन) प्रत्यक्ष रूप से दान गृहीता पक्ष को दान दाता पक्ष ने मालिक नाते से सुपुर्द कर दिया है । पजेशन (कब्ज़ा) मिलना दान गृहीता पक्ष ने स्वीकार किया है । उपरोक्त वर्णित दान की गयी सम्पत्ति के अब दान गृहीता पक्ष संयुक्त रूप से मालिक होकर काबिज हो गए हैं एवं यह दान प्राप्त करने के पश्चात् प्रत्येक दान गृहीता का सदर सम्पत्ति में 1/3 अविभाजित अंश (INDIVISIBLE SHARE) स्थापित होगया है ।

नगर पालिका निगम इंदौर म.प्र का सीमाधीकार क्षेत्र है । समस्त कर, टैक्स आदि दान दाता पक्ष अदा करते आये हैं । भविष्य में उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में समस्त कर, टैक्स आदि दान गृहीतापक्ष स्वयं दिया करेंगे । सदर सम्पत्ति दानगृहीता पक्ष अपने नाम पर अपने खर्चों से संबंधित कार्यालयों में राजस्व अभिलेखों में, नगर पालिका निगम में व ग्राम पंचायत आदि में नामान्तरण करवाएंगे औपचारिक सहयोग के लिये दान दाता पक्ष सदैव तैयार व तत्पर रहेंगे ।

अतः इन्दियों के स्वस्थ व स्थिर बुद्धि की अवस्था में, किसी के रूचि दिलाने आदि के बगैर उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति अमला इससे संबंध रखने वाले समस्त स्वत्व व अधिकारों, सुखाधिकारों, इसमेंन्ट राईट्स, प्रिविलेईजस, के सहित किसी भी स्वत्व व अधिकार को शेष रखे बिना दान गृहीता पक्ष को अंतरित की है । दानदाता पक्ष ने अपने समस्त स्वत्व व अधिकार उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति पर से उठा लिये, समाप्त कर लिये हैं । दान गृहीता को अपनी ही तरह पूर्ण रूप से मालिक अधिपति स्वामी बना दिया है । जो भी अधिकार दान दाता पक्ष को प्राप्त थे, वह अब इस दानपत्र के द्वारा दान गृहीतापक्ष को प्राप्त हो गए हैं ।

अन्तरित की गई सम्पत्ति के दान गृहीता पक्ष पूर्ण रूप से मालिक काबिज हो गये हैं । अब दान गृहीता पक्ष अपने वंश परम्परा तक इसका उपभोग व उपयोग लाभ, भाडा आदि प्राप्त करने के पात्र रहेंगे । चाहे जब चाहे जिसे व चाहे जिस प्रकार इस सम्पत्ति का विक्रय हस्तांतरण करे । इस पर विधिवत निर्माण कार्य आदि करे । यह सब अधिकार इस दानपत्र के द्वारा दान गृहीता को प्राप्त हो गए हैं ।

अब यदि दान गृहीता का कोई साजी या शरीक वारिस आदि अगसर होकर किसी किस्म का दावा उपरोक्त





Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Witness Seal:

mohammad sohail

S/O Abdul Kalam

Address: 69 pinjara bakhal alshifa hospital
indore mp


rafique mansoori

S/O Abdul Rehman Ji

Address: 46 Bombay Bazar Indore MP

की जांच पूर्वोक्त निष्पादक / निष्पादकों की शिनाख्त के विषय में की गयी है । तारीख 11/12/2020

ARVIND KHARE
Sub Registrar
SUB REGISTRAR OFFICE,
INDORE 1





Registration and Stamp Department

Madhya Pradesh

वर्णित सम्पत्ति के प्रति करे तो इसकी जवाबदारी दानदाता पक्ष की रहेगी तथा दान गृहीतापक्ष को किसी तरह का नुकसान नहीं होने देवेंगे। वारिसान आदि की जवाबदारी दानदाता पक्ष की रहेगी। भविष्य में दान गृहीतापक्ष को यदि किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर की आवश्यकता हुई या दानदाता पक्ष की उपस्थिति की जरूरत हुई तो दानदाता पक्ष भविष्य में दानगृहीता पक्ष के कहने पर स्वयं उपस्थित होकर दान गृहीतापक्ष को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।



उपरोक्त दान कि गई सम्पत्ति शासन या किसी भी विभाग द्वारा अधिग्रहण में ली हुई नहीं है। सदर संपत्ति के अंतरण को कोई कानूनी अवरोध नहीं है। नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की कोई बाधा नहीं है। दानदाता पक्ष यह सुनिश्चित करते हैं की उपरोक्त अंतरण व्यवहार से किसी भी प्रकार से पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 22 (क) का उल्लंघन किसी भी प्रकार से नहीं हो रहा है अर्थात् सदर सम्पत्ति मेरे द्वारा न तो पूर्व में किसी अन्य को विक्रय / हस्तांतरित आदि की हुई है और न ही इस सम्बन्ध में किसी अन्य से किसी प्रकार का अनुबंध इस बाबद किया गया है।

इस दानपत्र में प्रयुक्त किसी भी शब्द वाक्य या प्रतिश्रव को भविष्य में और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये, अधिक विस्तार या व्याख्या या स्पष्टिकरण की आवश्यकता होने पर दानदाता पक्ष या दान गृहीता पक्ष जिसे भी आवश्यकता हो उनके व्यय पर अन्य आवश्यक दस्तावेज़, संशोधनपत्र, सहमतिपत्र, एडमिशन डीड, शपथपत्र, प्रार्थनापत्र, उत्तर आदि का निष्पादन, सम्पादन, पंजीयन, अटेस्टेशन, अटथनटीकेशन, सत्यापन आदि कराने को सदा तत्पर व तैयार व बाध्य रहेंगे।

सम्बोधन दानदातापक्ष एवं दान गृहीता पक्ष में एतद द्वारा उनके वारिस, उत्तराधिकारी, दायाधिकारी, स्वत्व, गृहीता, हितग्राही, उत्तरजीवी, समनुदेषित, असाईनी, नामिती, स्थानापण, स्वत्वपणप्राप्त कर्तागण, प्रबन्धक, व्यवस्था कर्तागण एवं वैध प्रतिनिधी आदि आदि का समावेश है और यह दानपत्र व इसकी समस्त शर्तें उन पर भी समान रूप से बन्धन कारक रहेगी व इनके अधिकार व लाभ भी समान रूप से प्राप्त रहेंगे। इस दानपत्र का सम्पूर्ण खर्चा दान गृहीताकर्ता ने वहन किया है।

दान गृहीता ने मौके पर जाकर संपत्ति को देख लिया है पूर्ण संतुष्टि कर ली है। संपत्ति के असल दस्तावेज़ दान दाता पक्ष ने दान गृहीता पक्ष को सुपुर्द कर दिए है।

अतः यह दान पत्र आज इंदौर में लिखा गया है। उभय पक्ष द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार लिखवाया है, मजमून पढ़कर, पढ़वाकर सुनकर समझकर स्वस्थ व स्थिर बुद्धि की अवस्था में बगैर किसी दबाव में गवाहों के समक्ष अपने हस्ताक्षर किये है ताकि प्रमाण रहे वक्त जरूरत काम आवे। इति





Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Thumb Impression Seal:




इस दस्तावेज के निष्पादक RAZIYA BEE MANSURI W/O ABDUL SAMAD
MANSURI के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 11/12/2020 को
लिया गया ।

ARVIND KHARE
Sub Registrar
SUB REGISTRAR OFFICE
INDORE 1



इस दस्तावेज के निष्पादक JAFAR MANSOORI S/O ABDUL SAMAD
MANSOORI के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 11/12/2020 को
लिया गया ।

ARVIND KHARE
Sub Registrar
SUB REGISTRAR OFFICE
INDORE 1





Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Thumb Impression Seal:




इस दस्तावेज के निष्पादक ASHIK MANSOORI S/O ABDUL SAMAD
MANSOORI के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 11/12/2020 को
लिया गया ।

ARVIND KHARE
Sub Registrar
SUB REGISTRAR OFFICE
INDORE 1



इस दस्तावेज के निष्पादक ARIF MANSUREE S/O ABDUL SAMAD
MANSUREE के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 11/12/2020 को
लिया गया ।

ARVIND KHARE
Sub Registrar
SUB REGISTRAR OFFICE
INDORE 1






Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

REGISTRATION AND STAMP DEPARTMENT
REGISTRATION AND STAMP DEPARTMENT
REGISTRATION AND STAMP DEPARTMENT
REGISTRATION AND STAMP DEPARTMENT
REGISTRATION AND STAMP DEPARTMENT

District	INDORE
Tehsil	INDORE
Area Type	URBAN AREA
Governing Municipal Body : NAGAR NIGAM"INDORE	
Ward : WARD NO. 78 (CHOITHRAM)	
Village/Mohalla/Colony : BIJALPUR	
Total Area (sqm)	1270
Floor Name	GROUND FLOOR
Residential Area out of Total Area (sqm)	1270

BUILDING DETAILS	
Residential (SQM)	
RCC	0
RBC	0
TIN SHADE	27.88
KACCHA KABELU	0
Floor Name	FIRST FLOOR
Residential (SQM)	
RCC	139.4
RBC	0
TIN SHADE	0
KACCHA KABELU	0
Floor Name	GROUND FLOOR





Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Consenter Seal:



रिज्वाना बी



RIZWANA BEE

इस दस्तावेज के सहमतिकर्ता RIZWANA BEE के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी
उपस्थिति में दिनांक 11/12/2020 को लिया गया ।


ARVIND KHARE
Sub Registrar
SUB REGISTRAR OFFICE
INDORE 1



JAVED MANSOORI

इस दस्तावेज के सहमतिकर्ता JAVED MANSOORI के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी
उपस्थिति में दिनांक 11/12/2020 को लिया गया ।

ARVIND KHARE
Sub Registrar
SUB REGISTRAR OFFICE
INDORE 1






Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Consenter First Name	Stamp Duty	Municipal Duty	Janpad Duty	Upkar Duty	Exempted	Exempted	Total After	Reg Fee After
RIZWANA BEE	1000	0	0	0	0	0	1000	500

TOTAL DUTY AND EXEMPTION

Exempted Duty	0.0	Exempted Reg Fee	0.0
Total Payable Duty(INR)	785453.0		
Total Payable Registration fee(INR)	132619.0		





Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Witness Seal:



Sohail




mohammad sohail

Rafique



rafique mansoori





Registration and Stamp Department Madhya Pradesh

I/We hereby authenticate and confirm the recitals of all the pages and entries of this deed with deed ID 20134538 and e-Stamp code 0101171112202000022, and also execute the deed with my/our signatures below.

Signature of First Party/ Parties:
Name and Father's Name

Raziya Bee w/o Abdul Samad Mansoori

Signature of Second Party/ Parties:
Name and Father's Name

Jafar Mansoori s/o Abdul Samad Mansoori


Signature of Third Party/ Parties:
Name and Father's Name

Javed Mansoori s/o Abdul Samad Mansoori
Consentor Details:-

1. Name RIZWANA BEE S/O MO RAFIQUE give consent with Consideration of R&D. Or give consent without consideration in this deed.

2. Name JAVED MANSOORI S/O ABDUL SAMAD MANSOORI give consent with Consideration of R&D. Or give consent without consideration in this deed.

रिज्वाना बी
Rizwana Bee w/o
Mo. Rafique






Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Stamp Duty Seal:

स्टाम्प शुल्क	413870
नगरीय शुल्क	165148
जनपद पंचायत शुल्क	165148
उपकर	41287
अतिरिक्त शुल्क	0
घुकाया गया स्टाम्प शुल्क	785453

ARVIND KHARE
Sub Registrar
SUB REGISTRAR OFFICE
INDORE 1





Registration and Stamp Department

Madhya Pradesh

Signature


Witness 1 Name
Address
Signature
ID Proof type and number

Mohammed Rafiq Mansoori
310 Abadi Rehman
R/o, 45, Mansab Bazar, Indore
Andhra - 666 0916 7637


Signature

Witness 2 Name
Address
Signature
ID Proof type and number


Mohd. Sohail 316 Abadi Kalam
R/o, 63, Binjara Bazar, Aishifa
Hospital, Indore
Andhra - 3300 2512 1685



SECRET



10/10/2007






Registration and Stamp Department Madhya Pradesh

उत्तर में:
जाकिर हुसैन व अन्य का मकान

पश्चिम में:
सड़क





पूर्व में:
अन्य कृषि भूमि

दक्षिण में:
नदी बाईं पति श्री सिद्धनाथ जी मकान

मकान शहर इंदौर के चारम बिजलपुर तहसील व जिला इंदौर म.प्र. यहाँ पर स्थित सर्वे क्रमांक 278/4/1, 279/2/1, 280/3/2/1 कुल रकबा 1270 वर्ग मीटर की भूमि में जिसे वर्तमान में भवन क्रमांक 1310 दिया हुआ है पर निर्मित आवासीय मकान है का सीका जमा।

Note: NOT ON SCALE

(Zaker) *(Anis)* *(Ahmed)*
(Said)
रिजिस्ट्रार की





Registration Seal :

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

इस दस्तावेज का इलेक्ट्रॉनिक पंजीयन दिनांक 11/12/2020 को क्रमांक
MP179092020A1833403 दे कर किया गया है। जिसमें 28 पृष्ठ समाविष्ट हैं

स्टाम्प शुल्क 785453


पंजीयन शुल्क 132619

प्रतिलिपि शुल्क 0

अधिक 0

योग 132619

ARVIND KHARE
Sub Registrar
SUB REGISTRAR OFFICE
INDORE 1



कार्यालय संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, इन्दौर, म.प्र.

क्र. / 8588
श्रुति

/INDLP 2447/16/नगानि/2017

इन्दौर दिनांक 29/09/17

श्रीमती रजिया बी पति श्री रामद मंसूरी,
निवासी ग्राम विजलपुर, जिला, इन्दौर (म.प्र.)

विषय : ग्राम विजलपुर, तहसील व जिला इन्दौर के सर्वे क्रमांक 278/4/1, 279/2/1, 280/3/2/1 कुल रकबा 1270.0 वर्गमीटर में से 861.09 वर्गमीटर भूमि पर स्वयं के आवासीय उपयोग हेतु स्थल अनुमोदन बाबद।

संदर्भ : म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29(1) के अन्तर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 31/03/2016.

उपरोक्त विषयान्तर्गत सवर्गित पत्र के संबंध में आवेदक श्रीमती रजिया बी पति श्री रामद मंसूरी, निवासी ग्राम विजलपुर, जिला, इन्दौर (म.प्र.) द्वारा ग्राम विजलपुर, तहसील व जिला इन्दौर के सर्वे क्रमांक 278/4/1, 279/2/1, 280/3/2/1 कुल रकबा 1270.0 वर्गमीटर में से 861.09 वर्गमीटर भूमि पर स्वयं के आवासीय उपयोग हेतु स्थल अनुमोदन बाबद निम्न दरतावेज प्रस्तुत किये हैं:-

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र।
2. आवेदन शुल्क रुपये 5,000.0 चालान क्र. 66, दिनांक 04.03.2016 व अनुज्ञा शुल्क रुपये 9,525.0 चालान ट्रेजरी चालान क्र. 0217952 दिनांक 23.09.2017 द्वारा ऑनलाईन जमा। इस प्रकार कुल 14,525.0 जमा।
3. खसरा बटांकन मानचित्र।
4. खसरा बी-1, पी-2 वर्ष 2015-2016।
5. शपथ पत्र एवं क्षतिपूर्ति पत्र।
6. मानचित्र।
7. सीमांकन रिपोर्ट।

विषयांकित भूमि का स्थल निरीक्षण भू-स्वामी की उपस्थिति में स्थल का निरीक्षण किया गया प्रश्नाधीन भूमि पर वर्तमान में मकान बना हुआ है, जिसे तोड़कर कर नवीन स्वीकृति अनुसार निर्माण करने के संबंध में आवेदक द्वारा शपथ पत्र दिया गया है। प्रश्नाधीन स्थल को पश्चिम दिशा में स्थित 30.0 मीटर चौड़े प्रस्तावित मार्ग से पहुँच उपलब्ध है तथा विकास योजना 2021 में आवासीय एवं मार्ग उपयोग हेतु निर्दिष्ट है।

मुख्य नगर नियोजक, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर ने उनके पत्र क्र. 5286/भू-अर्जन/2017, दिनांक 21/08/2017 द्वारा अभिगत दिया है कि, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल के समक्ष धारा 51 के अन्तर्गत रिजिजन प्रकरण में धारित एवं प्राधिकारी के संकल्प क्र. 30 दिनांक 20/03/1987 द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार विषयांकित भूमि को योजना हेतु संपादित नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया होने से उक्त भूमि वर्तमान में प्राधिकारी द्वारा घोषित किसी भी योजना में समाविष्ट नहीं है। साथ ही शर्त आरोपित की है कि, 1. भूमि पर विकास कार्य किये जाने के समय म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के परिपत्र क्र. एफ/3-56/13/32, भोपाल, दिनांक 08/05/2013 में वर्णित प्रावधानों का पालन करना होगा एवं भूमि स्वामित्व संबंधी विवाद होने, गलत जानकारी देने अथवा उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन की दशा में सह निजी विकास की शर्त अनुमति स्वयं प्रभावशून्य माना जावेगा।

अनुविभागीय अधिकारी, संचालक, अनुनाम राऊ, जिला इन्दौर ने उनका पत्र क्र. 508/री. राऊ/2016, दिनांक 30/01/2016 आवेदक को संबोधित कर ग्राम विजलपुर, तहसील व जिला इन्दौर के सर्वे क्रमांक 278/4/1, 279/2/1, 280/3/2/1 कुल रकबा 1270.0 वर्गमीटर भूमि के संबंध में शर्त नजूल अनापत्ति दी है।


अकिरत 2



उपरोक्त/प्रभारी अधिकारी कॉलोनी रोड, नगर पालिका निगम, इन्दौर के पत्र क्र. 1049/कॉ. रोड/15, दिनांक 31/03/2015 द्वारा प्रेषित जॉब कॉलोनीयों की सूची में भूमि सम्मिलित नहीं है।


उपरोक्त दस्तावेजों एवं शपथ पत्रों के आधार पर ग्राम विजलपुर, तहसील व जिला-इन्दौर के सर्वे क्रमांक 278/4/1, 279/2/1, 280/3/2/1 कुल रकब 1270.0 वर्गमीटर में से 861.09 वर्गमीटर भूमि पर स्वयं के आवासीय उपयोग हेतु म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30(1)(ख) एवं म. प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27(1) एवं 2(5)(क) के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के आधार पर अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/संश्लेषण अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :-
 - अ- म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959
 - ब- म.प्र. नगर पालिका अधिनियम
 - स- अन्य किसी नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत कोई अनुमति/अनुज्ञा अनिवार्य हो तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
2. प्रस्तावीन भूमि पर नियोजन मापदण्ड निम्नानुसार रहेंगे:-
 - अ- ग्राउण्ड कवरेज 30.0 प्रतिशत अधिकतम।
 - ब- एफ.ए.आर. 1:1.25 अधिकतम।
 - स- भवन की ऊँचाई 10.0 मीटर अधिकतम।
 - द- एम.ओ.एस. संलग्न मानचित्र अनुसार।
3. प्रस्तावीन भूमि के सामने पश्चिम दिशा में स्थित मार्ग की चौड़ाई 30.0 मीटर संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार रखते हुए मार्ग मध्य से 15.0 मीटर भूमि मार्ग हेतु खुली रखी जाना आवश्यक होगी, जिस पर किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण मान्य नहीं होगा।
4. विषयांकित भूमि में वृक्षारोपण करते हुए शावजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज, आदि का विकास स्थानीय संस्था की देख-रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
5. यह अनुज्ञा पत्र जारी होने के दिनांक से तीन (3) वर्ष की कालावधि के लिए प्रभावशील रहेगी और उसके पश्चात् यह अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी। परन्तु आवेदक द्वारा समयावधि समाप्त होने के पूर्व आवेदन करने पर इस अनुमति को वर्षानुवर्ष दो वर्ष तक (एक-एक वर्ष) के लिये बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी दशा में उक्त अनुमति की अवधि पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।
6. संलग्न मानचित्र को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावे।
7. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81(4) के प्रावधानों के अनुसार निर्मित होने वाले भवनों में शहरी जल प्रदाय प्रणाली रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनायी होगी। इसके पश्चात् ही भूखण्ड पर जल विद्युत कनेक्शन संबंधी संस्थाओं के द्वारा किया जा सकेगा।
8. संलग्न मानचित्र के आधार पर विकास के कार्य का प्रारंभ पूर्व नगर निगम/स्थानीय संस्था से स्वीकृत कराकर विकास कार्य उसकी देख-रेख में करना आवश्यक होगा। इन विकास कार्यों में मूलभूत सुविधाएँ जल-मल निकासी की व्यवस्था व वर्षा के जल निकासी विद्युत व्यवस्था सम्मिलित है।
9. फायनेंस एक्ट 1994 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।



10. गवन का निर्माण बूज्म अक्टोती एकनीसी के अनुसार एवं निर्धारित मानकों के अनुसार करना होगा। किसी भी प्रकार का डिजाईन फाउल अथवा एबीकृति के विपरित निर्माण की अव्यवस्था में आवेदक की जवाबदारी होगी।
11. मार्ग एवं खुले स्थानों हेतु छोड़ी गई भूमि भू-राजस्व संहिता की धारा 173 के अन्तर्गत अधिकारों का राज्य सरकार के पक्ष में अज्ञान करना होगा तथा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण करना होगी।
12. यह अनुमति अहस्तातरणीय होगी तथा अभिमान्य उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होंगे।
13. इस अनुमति का उपयोग किसी प्रकार के ऋण प्राप्त करने हेतु तब तक नहीं किया जा सकता है, जब तक की आवेदक भूमि व्यवर्तन प्राप्त नहीं कर लेता।
14. यह अभिन्यास म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 129 के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर अनुमोदित किया गया है। यदि नीके पर विकास कार्य के दौरान भूमि की चतुर्सीमा में परिवर्तन होता है तो सीमांकित अभिन्यास पुनः इस कार्यालय से अनुमोदित कराना होगा।
15. किसी भी प्रकार के भू-स्वामित्व, सीमा अथवा मार्ग संबंधी विवाद होने पर या दी गई जानकारी असत्य पाए जाने पर या सक्त ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के तहत प्रतिशंसित (रिहोक) कर दी जावेगी।

संलग्न - स्थल मानचित्र।


 संयुक्त संचालक
 नगर तथा ग्राम निवेश
 इन्दौर म.प्र.
 इन्दौर, दिनांक

पृ. क्र./ /INDLP-2447/16/नशावि/2017
 प्रतिलिपि :-



1. सक्षम प्राधिकारी एवं आयुक्त, नगर पालिका निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु यदि प्रश्नाधीन भूमि के स्वामित्व के संबंध में किसी भी प्रकार का वाद/विवाद कलेक्टर कार्यालय में प्रचलन में हो तो इस कार्यालय को अवगत करावे तथा इस अनुमति आदेश के आधार पर कोई कार्यवाही न करें।
3. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद सीमा शुल्क एवं सेवा कर, माणिकबाग पैलेस, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. तहसीलदार, तहसील, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल बोर्ड इन्दौर को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
7. वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला पंजीयन कार्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. वेबसाईट कॉपी।

संलग्न- स्थल मानचित्र।

संयुक्त संचालक
 नगर तथा ग्राम निवेश
 इन्दौर म.प्र.








PLAN FOR SELF RESIDENTIAL USE ON
P.L. NO. 278/4/1, 279/2/1, 280/3/2/1 AT VILLAGE
DIST. INDORE

W/O SHRI SAMAD MANSURI

AREA :

AREA (APPER)	1270.00 SQ.M.	
AREA (SION)	408.91 SQ.M.	
AREA (PER FEILD BOOK)	861.09 SQ.M.	
AREA (M. WIDE ROAD WIDENING)	134.37 SQ.M.	
	726.72 SQ.M.	100.0%
COVERED AREA	218.02 SQ.M.	30.00%
UNCOVERED AREA	218.02 SQ.M.	30.00%
	72.67 SQ.M.	
	1:125	
	10.0M.	

ON BASIS OF ALL LEGAL/ SITE INFORMATION BY CLIENT



PLANNER/ ARCHITECTS SIG. **MR Baxy**

M. R. BAXY Architect
AN. KAY. & ASSOCIATES
 Lic. No. A. & C. P. 146/08
 Mpl. Comp. Lic. No. 27/Arch.
 Mobile No. 9878444780
 E.D. 188, Sch. No. 94, INDORE.
 email id: er.nushadkhan@gmail.com

T&C.P LIC NO. 2016/2017

<<< TO A.B. ROAD >>>

15.0

>>> TO BHALPUR VILLAGE <<<



T SAMAD



NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	AMOUNT
1	CEILING	100	SQ. M	100
2	FLOOR	100	SQ. M	100
3	WALL	100	SQ. M	100
4	DOOR	10	NO.	100
5	WINDOW	10	NO.	100
6	ROOF	100	SQ. M	100
7	PAINT	100	SQ. M	100
8	PLASTER	100	SQ. M	100
9	CONCRETE	100	SQ. M	100
10	IRON	100	SQ. M	100
11	STEEL	100	SQ. M	100
12	BRICK	100	SQ. M	100
13	GLASS	100	SQ. M	100
14	WOOD	100	SQ. M	100
15	CEMENT	100	SQ. M	100
16	SAND	100	SQ. M	100
17	AGGREGATE	100	SQ. M	100
18	WATER	100	SQ. M	100
19	ELECTRICITY	100	SQ. M	100
20	PLUMBING	100	SQ. M	100
21	MECHANICAL	100	SQ. M	100
22	LANDSCAPE	100	SQ. M	100
23	INTERIOR	100	SQ. M	100
24	EXTERIOR	100	SQ. M	100
25	FINISH	100	SQ. M	100
26	FIXTURES	100	SQ. M	100
27	EQUIPMENT	100	SQ. M	100
28	UTILITIES	100	SQ. M	100
29	SAFETY	100	SQ. M	100
30	ACCESSIBILITY	100	SQ. M	100
31	ENVIRONMENTAL	100	SQ. M	100
32	ENERGY	100	SQ. M	100
33	WATER	100	SQ. M	100
34	AIR	100	SQ. M	100
35	SOIL	100	SQ. M	100
36	NOISE	100	SQ. M	100
37	VIBRATION	100	SQ. M	100
38	QUALITY	100	SQ. M	100
39	MANAGEMENT	100	SQ. M	100
40	CONSTRUCTION	100	SQ. M	100
41	OPERATION	100	SQ. M	100
42	MAINTENANCE	100	SQ. M	100
43	REPAIR	100	SQ. M	100
44	REPLACE	100	SQ. M	100
45	UPGRADE	100	SQ. M	100
46	MODERNIZE	100	SQ. M	100
47	RENOVATE	100	SQ. M	100
48	RESTORE	100	SQ. M	100
49	RECONSTRUCT	100	SQ. M	100
50	REBUILD	100	SQ. M	100
51	REPAIR	100	SQ. M	100
52	REPLACE	100	SQ. M	100
53	UPGRADE	100	SQ. M	100
54	MODERNIZE	100	SQ. M	100
55	RENOVATE	100	SQ. M	100
56	RESTORE	100	SQ. M	100
57	RECONSTRUCT	100	SQ. M	100
58	REBUILD	100	SQ. M	100
59	REPAIR	100	SQ. M	100
60	REPLACE	100	SQ. M	100
61	UPGRADE	100	SQ. M	100
62	MODERNIZE	100	SQ. M	100
63	RENOVATE	100	SQ. M	100
64	RESTORE	100	SQ. M	100
65	RECONSTRUCT	100	SQ. M	100
66	REBUILD	100	SQ. M	100
67	REPAIR	100	SQ. M	100
68	REPLACE	100	SQ. M	100
69	UPGRADE	100	SQ. M	100
70	MODERNIZE	100	SQ. M	100
71	RENOVATE	100	SQ. M	100
72	RESTORE	100	SQ. M	100
73	RECONSTRUCT	100	SQ. M	100
74	REBUILD	100	SQ. M	100
75	REPAIR	100	SQ. M	100
76	REPLACE	100	SQ. M	100
77	UPGRADE	100	SQ. M	100
78	MODERNIZE	100	SQ. M	100
79	RENOVATE	100	SQ. M	100
80	RESTORE	100	SQ. M	100
81	RECONSTRUCT	100	SQ. M	100
82	REBUILD	100	SQ. M	100
83	REPAIR	100	SQ. M	100
84	REPLACE	100	SQ. M	100
85	UPGRADE	100	SQ. M	100
86	MODERNIZE	100	SQ. M	100
87	RENOVATE	100	SQ. M	100
88	RESTORE	100	SQ. M	100
89	RECONSTRUCT	100	SQ. M	100
90	REBUILD	100	SQ. M	100
91	REPAIR	100	SQ. M	100
92	REPLACE	100	SQ. M	100
93	UPGRADE	100	SQ. M	100
94	MODERNIZE	100	SQ. M	100
95	RENOVATE	100	SQ. M	100
96	RESTORE	100	SQ. M	100
97	RECONSTRUCT	100	SQ. M	100
98	REBUILD	100	SQ. M	100
99	REPAIR	100	SQ. M	100
100	REPLACE	100	SQ. M	100



RW

Item No.	Description	Quantity	Unit	Rate	Amount
1	CEILING	100	SQ. M	1.00	100.00
2	FLOOR	100	SQ. M	1.00	100.00
3	WALL	100	SQ. M	1.00	100.00
4	DOOR	10	NO.	10.00	100.00
5	WINDOW	10	NO.	10.00	100.00
6	ROOF	100	SQ. M	1.00	100.00
7	PAINT	100	SQ. M	1.00	100.00
8	PLASTER	100	SQ. M	1.00	100.00
9	CONCRETE	100	SQ. M	1.00	100.00
10	IRON	100	SQ. M	1.00	100.00
11	STEEL	100	SQ. M	1.00	100.00
12	BRICK	100	SQ. M	1.00	100.00
13	GLASS	100	SQ. M	1.00	100.00
14	WOOD	100	SQ. M	1.00	100.00
15	CEMENT	100	SQ. M	1.00	100.00
16	SAND	100	SQ. M	1.00	100.00
17	AGGREGATE	100	SQ. M	1.00	100.00
18	WATER	100	SQ. M	1.00	100.00
19	ELECTRICITY	100	SQ. M	1.00	100.00
20	PLUMBING	100	SQ. M	1.00	100.00
21	MECHANICAL	100	SQ. M	1.00	100.00
22	LANDSCAPE	100	SQ. M	1.00	100.00
23	INTERIOR	100	SQ. M	1.00	100.00
24	EXTERIOR	100	SQ. M	1.00	100.00
25	FINISH	100	SQ. M	1.00	100.00
26	FIXTURES	100	SQ. M	1.00	100.00
27	EQUIPMENT	100	SQ. M	1.00	100.00
28	UTILITIES	100	SQ. M	1.00	100.00
29	SAFETY	100	SQ. M	1.00	100.00
30	ACCESSIBILITY	100	SQ. M	1.00	100.00
31	ENVIRONMENTAL	100	SQ. M	1.00	100.00
32	ENERGY	100	SQ. M	1.00	100.00
33	WATER	100	SQ. M	1.00	100.00
34	AIR	100	SQ. M	1.00	100.00
35	SOIL	100	SQ. M	1.00	100.00
36	NOISE	100	SQ. M	1.00	100.00
37	VIBRATION	100	SQ. M	1.00	100.00
38	QUALITY	100	SQ. M	1.00	100.00
39	MANAGEMENT	100	SQ. M	1.00	100.00
40	CONSTRUCTION	100	SQ. M	1.00	100.00
41	OPERATION	100	SQ. M	1.00	100.00
42	MAINTENANCE	100	SQ. M	1.00	100.00
43	REPAIR	100	SQ. M	1.00	100.00
44	REPLACE	100	SQ. M	1.00	100.00
45	UPGRADE	100	SQ. M	1.00	100.00
46	MODERNIZE	100	SQ. M	1.00	100.00
47	RENOVATE	100	SQ. M	1.00	100.00
48	RESTORE	100	SQ. M	1.00	100.00
49	RECONSTRUCT	100	SQ. M	1.00	100.00
50	REBUILD	100	SQ. M	1.00	100.00
51	REPAIR	100	SQ. M	1.00	100.00
52	REPLACE	100	SQ. M	1.00	100.00
53	UPGRADE	100	SQ. M	1.00	100.00
54	MODERNIZE	100	SQ. M	1.00	100.00
55	RENOVATE	100	SQ. M	1.00	100.00
56	RESTORE	100	SQ. M	1.00	100.00
57	RECONSTRUCT	100	SQ. M	1.00	100.00
58	REBUILD	100	SQ. M	1.00	100.00
59	REPAIR	100	SQ. M	1.00	100.00
60	REPLACE	100	SQ. M	1.00	100.00
61	UPGRADE	100	SQ. M	1.00	100.00
62	MODERNIZE	100	SQ. M	1.00	100.00
63	RENOVATE	100	SQ. M	1.00	100.00
64	RESTORE	100	SQ. M	1.00	100.00
65	RECONSTRUCT	100	SQ. M	1.00	100.00
66	REBUILD	100	SQ. M	1.00	100.00
67	REPAIR	100	SQ. M	1.00	100.00
68	REPLACE	100	SQ. M	1.00	100.00
69	UPGRADE	100	SQ. M	1.00	100.00
70	MODERNIZE	100	SQ. M	1.00	100.00
71	RENOVATE	100	SQ. M	1.00	100.00
72	RESTORE	100	SQ. M	1.00	100.00
73	RECONSTRUCT	100	SQ. M	1.00	100.00
74	REBUILD	100	SQ. M	1.00	100.00
75	REPAIR	100	SQ. M	1.00	100.00
76	REPLACE	100	SQ. M	1.00	100.00
77	UPGRADE	100	SQ. M	1.00	100.00
78	MODERNIZE	100	SQ. M	1.00	100.00
79	RENOVATE	100	SQ. M	1.00	100.00
80	RESTORE	100	SQ. M	1.00	100.00
81	RECONSTRUCT	100	SQ. M	1.00	100.00
82	REBUILD	100	SQ. M	1.00	100.00
83	REPAIR	100	SQ. M	1.00	100.00
84	REPLACE	100	SQ. M	1.00	100.00
85	UPGRADE	100	SQ. M	1.00	100.00
86	MODERNIZE	100	SQ. M	1.00	100.00
87	RENOVATE	100	SQ. M	1.00	100.00
88	RESTORE	100	SQ. M	1.00	100.00
89	RECONSTRUCT	100	SQ. M	1.00	100.00
90	REBUILD	100	SQ. M	1.00	100.00
91	REPAIR	100	SQ. M	1.00	100.00
92	REPLACE	100	SQ. M	1.00	100.00
93	UPGRADE	100	SQ. M	1.00	100.00
94	MODERNIZE	100	SQ. M	1.00	100.00
95	RENOVATE	100	SQ. M	1.00	100.00
96	RESTORE	100	SQ. M	1.00	100.00
97	RECONSTRUCT	100	SQ. M	1.00	100.00
98	REBUILD	100	SQ. M	1.00	100.00
99	REPAIR	100	SQ. M	1.00	100.00
100	REPLACE	100	SQ. M	1.00	100.00

Item No.	Description	Quantity	Unit	Rate	Amount
1	CEILING	100	SQ. M	1.00	100.00
2	FLOOR	100	SQ. M	1.00	100.00
3	WALL	100	SQ. M	1.00	100.00
4	DOOR	10	NO.	10.00	100.00
5	WINDOW	10	NO.	10.00	100.00
6	ROOF	100	SQ. M	1.00	100.00
7	PAINT	100	SQ. M	1.00	100.00
8	PLASTER	100	SQ. M	1.00	100.





क्रमांक

PMT/IND/0152/2625/2020

दिनांक 11-सितम्बर-2020

प्रति

SMT. RAZIYA BI W/O SHRI SAMAD MANSURI
278/4/1279/2/1,281/3/2/1 KHASRA BIJALPUR INDORE

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२६) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र :

संदर्भ आपका आवेदन पत्र क्रमांक IND/IND/IND/0152/2167/2020

आपके संदर्भित आवेदन के अनुक्रम में निम्न विवरण अनुसार भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था शपथ पत्र अनुसार स्वयं के उपयोग हेतु प्रकल्प विकस्य प्रतिक्रिया ।

1. प्लॉट क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 13 / 76
2. कोलोनी का नाम : Bijalpur
3. मूलभूत क्रमांक : 278/4/1279/2/1,281/3/2/1

4. Plot Details

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
0.000	0.000	861.800	861.800

5. FAR Table

Permissible FAR Factor	: 1.25	Total permissible Builtup Area	: 1077.250
Consumed FAR	: 0.710	Proposed Builtup Area	: 618.340
Special Cases FAR	: No	Existing Builtup Area	: 0.000
Set Back Area	: -	NonFAR Area	: 24.78
Existing Ground Coverage	: 0.000	Proposed Ground Coverage	: 17.940
		Permissible Ground Coverage	: 30.00

6. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	618.32	0.00	0.0000	0.00	24.86	7.54	3.00	3.00

7. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	154.58	0.00	0.0000	0.00	154.58	4.37
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	7.30
Single	3	FLOOR01	0.00	154.58	0.00	0.0000	0.00	154.58	4.37
Single	4	FLOOR02	0.00	154.58	0.00	0.0000	0.00	154.58	4.37
Single	5	FLOOR03	0.00	154.58	0.00	0.0000	0.00	154.58	4.37

8. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/IND/0152/4279/2020	907.00	RCPT/IND/0152/5000/2020	7/2/2020	Online
DMD/IND/0152/5835/2020	119088.00	RCPT/IND/0152/7039/2020	8/31/2020	Online
DMD/IND/0152/5835/2020	77300.00	RCPT/IND/0152/7041/2020	8/31/2020	Online





1. उक्त स्वीकृति दिनांक 10-सितम्बर-2023 तक आवेदन स्वीकृति तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में नगर निगम अधिकारी को देना अनिवार्य होगी। उक्त कक्ष नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा-30A के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही मकान उपयोग में लाया जायेगा।
2. उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ मूलभूत तथा कन्स्ट्रिक्ट द्वारा प्रस्तुत स्थल पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे ही गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं काम माना जायेगा। उक्त स्थल पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता को समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। निगम इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
3. यह अनुमति संघर्ष के सम्बन्धित वाद प्रस्तावित नहीं है। तथा किसी स्वामित्वकारी के स्थल को प्रभावित नहीं करेगी।
4. यह अनुमति स्वीकृत चलाने मानचित्र के साथ मकान जमीन तहसील तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मध्य अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
5. मकान निर्माण का कार्य निगम के लाइसेंस/इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जायेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल मकान स्वामी ही समस्त पैदा निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंस/इंजीनियर एवं मकान निर्माता की होगी।
6. भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के संशोधन/प्राथमिक परिवर्तन/परिष्कार करने पर उसे पुनः निगम से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
7. आवेदन पत्र में दशमि नदी तथा, किये कक्षा जलवा किरती धाराएं तथा के दुर्घटनपरेशन पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिसूचित शर्तों का संतुलन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निमित्त नियमों के उपयोगी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निरस्त तथा नदी खंडित की जा सकती है।
8. जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के खर्च पर मकान निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा नगर पालिक निगम की जल संवर्धन शाखा से सहायता कक्षाते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर मकान अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही मकान पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
9. मकान निर्माण पूर्णता सूचना तैयारी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
10. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनुमति ली जाना आवश्यक हो तब तब अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण करना होगा।
11. स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के परिशिष्ट क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
12. बहुआयतायी मकानों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि मकान निर्माता सैलिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही निगम की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा नगर पालिक निगम विधान की धारा 159 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि मकान के मुख्य द्वार के बाहर पार्की निकासी हेतु नगर निगम के निर्देशन में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टी) आयामीटर का आरसीसी फाईप ड्रॉप जाये। बहुआयतायी मकानों में कबरे हेतु मल गैजल पर एक निर्धारित स्थान तथा कर कबरा उसी स्थान पर डाले, यह सुनिश्चित मकान निर्माता की करता होगा। मल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
13. मकान निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/जॉट लगाकर निर्माण किया जाये। कोई भी निर्माण सामग्री रोड/गली पर नहीं रखी जाये। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाने।
14. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 की अनुसार अग्निशमन की व्यवस्था करना होगी। अग्निशमन अनुमति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। अग्निशमन व्यवस्था एवं अनुमति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जायेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 82 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
15. उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मध्य दिशा निर्देशों का पालन करना होगा तथा दोस अपशिष्ट को तीन जलम-जलम कक्षा वेस्टिंग में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी/आवेदक/मूलभूत/कॉलोनाइज्ड/रहासी की होगी।
16. उपरान्त पर्यावरण की दुर्घि से सुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करने हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर निगम की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
17. मकान का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86, 88, 89 के अंतर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।
18. सुल्फे के गुणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
19. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व चौकीदार एवं अधिकारी हेतु ऑफिस का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
20. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ग) के अनुसार आवेदक को मकान स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन सूचना परिशिष्ट 8 1 में देना होगी।
21. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को कुली सार तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु मकान अधिकारी को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन सूचना परिशिष्ट 8 2 में देना होगी।
22. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल सारक के पूर्ण हो जाने पर राशि प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन देना होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ग) एवं 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी

